रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31052025-263501
CG-DL-E-31052025-263501

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2381] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 30, 2025/ज्येष्ठ 9, 1947
No. 2381] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 30, 2025/JYAISTHA 9, 1947

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2025

का.आ. 2440(अ).— केन्द्रीय सरकार, चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 5ख की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. संख्या 836 (अ), तारीख 6 दिसंबर 1991, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 6 दिसंबर 1991 में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में पैरा 5 के उपपैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपपैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(2) यदि बोर्ड, फिल्म की प्रकृति, विषय-वस्तु और विषय-वस्तु को ध्यान में रखते हुए, इस राय पर है कि किसी बच्चे के माता-पिता या अभिभावक को इस बात पर विचार करने के लिए सावधान करना आवश्यक है कि क्या सात, तेरह या सोलह वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को ऐसी फिल्म देखने की अनुमति दी जा सकती है, तो फिल्म को निम्नलिखित यूए मार्करों के साथ सामग्री की प्रकृति और प्रकार के अनुसार उस आशय के समर्थन के साथ अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणित किया जाएगा, अर्थात:-

(i) सात वर्ष या उससे अधिक आयु के बच्चे और माता-पिता के मार्गदर्शन के साथ सात वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए उपयुक्त सामग्री को "यू/ए 7+" रेटिंग के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा;

(ii) तेरह वर्ष या उससे अधिक आयु के बच्चे तथा माता-पिता के मार्गदर्शन में तेरह वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए उपयुक्त सामग्री को “यू/ए 13+” रेटिंग के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा; और

(iii) सोलह वर्ष या उससे अधिक आयु के बच्चे और माता-पिता के मार्गदर्शन के साथ सोलह वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए उपयुक्त सामग्री को "यू/ए 16+" रेटिंग के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा;" ।

[फा. सं. एम-11017/1/2024- डीओ(एफसी)]

डॉ. अजय नागभूषण एम. एन., संयुक्त सचिव

टिप्पण :- मूल अधिसूचना, का.आ. संख्या 836(अ) तारीख 6 दिसंबर, 1991 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार का.आ. संख्या 655(अ) तारीख 15 सितंबर, 1997 द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 2025

S.O. 2440(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5B of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting S.O. number 836 (E), dated the 6th December 1991 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 6th December 1991, namely:—

In the said notification in paragraph 5, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

"(2) If the Board, having regard to the nature, content and theme of the film, is of the opinion that it is necessary to caution the parents or guardian of a child to consider as to whether any child below the age of seven, thirteen or sixteen years, may be allowed to see such a film, the film shall be certified for unrestricted public exhibition with an endorsement to that effect in accordance with the nature and type of the content with the following UA markers, namely:-

(i) content suitable for a child aged seven years and above and under the age of seven years with parental guidance shall be classified as "U/A 7+" rating;

(ii) content suitable for a child aged thirteen years and above and under the age of thirteen years with parental guidance shall be classified as "U/A 13+" rating; and

(iii) content suitable for a child aged sixteen years and above and under the age of sixteen years with parental guidance shall be classified as "U/A 16+" rating;"

[F. No. M-11017/1/2024-DO(FC)]

Dr. AJAY NAGABHUSHAN M.N., Jt. Secy.

Note:- The principal notification was published, vide S.O. number 836(E) dated the 6th December, 1991 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) and last amended vide S.O. number 655(E) dated the 15th September, 1997.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.05.31 16:00:37 +05'30'